प्रस्तावना

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, वनों के वैज्ञानिक प्रबंध, वृक्ष सुधार, वैज्ञानिक एवं जैवप्रौद्योगिकीय अनुसंधानों द्वारा वानिकी उत्पादकता, निम्नीकृत भूमि का जैव उपचार, वन उपज का सक्षम उपयोग, वन उत्पादों का उपयोगिता परिवर्धन, जैवविविधता का संरक्षण और जलवायु परिवर्तन, विभिन्न कृषि–पारिस्थिकीय क्षेत्रों के लिए प्रभावी कृषि वानिकी मॉडल, नीति अनुसंधान, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और एकीकृत नाशीजीव एवं रोग प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए वानिकी के सभी पहलुओं पर अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार का आयोजन, प्रोत्साहन, संचालन और समन्वयन करके वास्तविक वानिकी अनुसंधान विकसित करने हेतु, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान तंत्र में शीर्ष संस्था है।

परिषद् के उद्देश्य

- वानिकी अनुसंधान और शिक्षा एवं इनके अनुप्रयोग के लिए सहायता और प्रोत्साहन देना और समन्वयन करना।
- वानिकी तथा अन्य सम्बद्ध विज्ञानों के लिए राष्ट्रीय वन पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र को विकसित करना और उसका रख रखाव करना।
- वनों और वन्य प्राणियों से संबंधित सामान्य सूचना और अनुसंधान के लिए एक वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करना।
- वानिकी विस्तार कार्यक्रमों को विकसित करना तथा उन्हें जन–संचार, श्रव्य–दृश्य माध्यमों और विस्तार मशीनरी द्वारा प्रसारित करना।
- वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और सम्बद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।
- उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य सभी आवश्यक कार्य करना।

राष्ट्र की वानिकी अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न जैव–भौगोलिक क्षेत्रों में परिषद् के आठ क्षेत्रीय संस्थानों और तीन अनुसंधान केन्द्र हैं। क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान देहरादून, शिमला, रांची, जोरहाट, जबलपुर, जोधपुर, बंगलौर और कोयम्बटूर में तथा केन्द्र इलाहाबाद, छिंदवाड़ा और हैदराबाद में स्थित हैं। इन संस्थानों एवं केन्द्रो के कार्यकलापों का ब्योरा रिपोर्ट के अलग–अलग अध्याओं में दिया गया है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (मुख्यालय) में वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के कार्यकलाप नीचे दिए अनुसार हैं।

वानिकी अनुसंधान

परियोजना सूत्रीकरण प्रभाग : प्रमुखता वाले क्षेत्रों और दाता एजेन्सियों को रूचिवाले अनुसंधान के क्षेत्र के बारे में परिषद् संस्थानों को अधुनातन बनाए रखने और वित्तीय सहायता की उपलब्धता के लिए दाता एजेन्सियों और परिषद् के बीच सम्पर्क बनाने के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् संस्थानों और सक्षम दाता ऐजेन्सियों के बीच मददगार के रूप में कार्य करता है। मार्च, 2004 तक दो सौ एक राष्ट्रीय परियोजनाएं और एक संकल्पना नोट्स तीस राष्ट्रीय दाता एजेन्सियों के पास वित्तीय सहायता के लिए विचारार्थ थी।

विभिन्न राष्ट्रीय दाता एजेन्सियों, यथा– जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, राष्ट्रीय तेल विकास बोर्ड, गोविन्द बल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान और कपड़ा मंत्रालय आदि, को अनुसंधान परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं।

तीरसठ अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाएं और चौंतीस संकल्पना नोट्स तीस अन्तर्राष्ट्रीय दाता एजेन्सियों के पास वित्तीय सहायता

के लिए पाइपलाइन में हैं। इनमें कुछ अन्तर्राष्ट्रीय दाता एजेन्सियां हैं– जापान इन्टरनेशनल कोऑपरेशन एजेन्सी, डिपार्टमेन्ट फॉर इन्टरनेशनल डवलपमेन्ट– यू.के., यूरोपियन यूनियन, संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन और एशियन विकास बैंक आदि।

यह प्रभाग राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दाता एजेन्सियों को प्रस्तुत परिषद् संस्थानों की अनुसंधान परियोजनाओं की स्थिति रिपोर्टों को अद्यतन भी करता है। परिषद् के संस्थानों, पर्यावरण एव वन मंत्रालय, राष्ट्रीय संगठनों तथा अन्य एजेन्सियों से प्राप्त अनुसंधान परियोजनाओं को, पहचान किए गए प्रमुखता वाले क्षेत्रों में इनकी उपयुक्तता के संबंध में, मूल्यांकित किया गया।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् ने राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि–विकास बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार शीर्षक "संयुक्त वन प्रबंध, वन विकास एजेंसी, जल संभर, सूक्ष्म योजना एवं मानीटरन विषयों पर समिति सदस्यों और वन अग्रणी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल" नाम से दो दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया।

योजना और कार्यक्रम प्रभाग : नए अनुसंधान परियोजना प्रस्तावों की योजना, प्रक्रमण और निष्पादन के कार्य देखता है और परिषद् के सभी संस्थानों को जारी अनुसंधान परियोजनाओं का पुनरीक्षण करता है। भा.वा.अ.शि.प. और इसके संस्थानों द्वारा प्रस्तुत नए अनुसंधान प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए श्री आर.पी.एस. कटवाल, महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् की अध्यक्षता में वर्ष 2003–04 के लिए 7 मई, 2003 को और वर्ष 2004–05 के लिए 16 और 17 मार्च, 2004 को अनुसंधान नीति समिति की बैठक बुलाई गई।

2004–05 के लिए स्वीकृत नए अनुसंधान प्रस्तावों की संस्थानवार संख्या तथा अनुसंधान नीति समिति द्वारा स्वीकृत जारी परियोजनाओं की संख्या नीचे दी गई है–

क्र.सं.	संस्थान का नाम	नई परियोजनाओं की संख्या	जारी परियोजनाओं की संख्या
1.	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	20	57
2.	शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	3	29
3.	हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला	2	19
4.	वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर	1	25
5.	वन उत्पादकता संस्थान, रांची	4	13
6.	काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर	9	63
7.	वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट	2	16
8.	उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर	3	27
9.	जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन एवं नीति अनुसंधान प्रभाग, भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय	1	–
	योग	45	249

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रभाग : भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों और राज्य वन विभागों के घनिष्ठ सहयोग से प्रायोजित परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरणीय प्रबंध योजना से संबंधित परामर्शों का निष्पादन करता है। वर्ष 2003–2004 के दौरान निम्न उपलब्धियां हासिल की गई।

1. राज्य वन विभाग, निजी उद्योगों, हाइड्रो–इलैक्ट्रिक पावर कम्पनियों (उदा. नेशंनल हाइड्रो पावर कार्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावन कार्पोरेशन और टिहरी हाइड्रो डवलपमेन्ट कार्पोरेशन आदि) में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् की विशेषज्ञता को प्रचारित करने के प्रयास किए गए।

2. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन और पारि–पुनरूद्वार योजना के लिए राष्ट्रीय ताप–विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल शक्ति निगम, भारतीय तेल निगम, टिहरी जल विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड, रायपुर और कुद्रमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर आदि जैसी कम्पनियों के समक्ष रूचि व्यक्त की गई। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया और आन्ध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रायोजित रोपवे परियोजना, तिरूपति के लिए अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

3. चालू वर्ष के दौरान दो नए परामर्श का कार्य हाथ में लियां गया :

   (i) बोधघाट जल विद्युत परियोजना, जिला दांतीवाड़ा, छत्तीसगढ़ के लिए पारिस्थिकीय अध्ययन।

डाम एक्सिस –बौधघाट

   (ii) कुद्रमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर के लिए अन्तिम तौर पर खान को बन्द करने की तैयारी।

लौह अयस्क खनन – कुदमुख

4. एन.ए.ई.बी. के तहत और एकीकृत वनीकरण एवं पारि–विकास परियोजना की 9वीं योजना के तहत राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा उगाए गए प्रतिपूरक वनीकरण का मूल्यांकन निम्न क्षेत्रों में किया जा रहा है :–

   (i) उड़ीसा के 6 तटवर्ती जिलों में एन.ए.ई.बी. योजना के तहत वर्ष 2000–2002 के दौरान तटवर्ती रक्षा–मेखला रोपण का मूल्यांकन।

(ii) एकीकृत वनीकरण एवं पारि–विकास परियोजना की 9वीं योजना के तहत लोकटाक और माकलांग जलसंभर परियोजनाओं का अन्तिम मूल्यांकन।

(iii) एन.ए.ई.बी. योजनाओं के तहत असम के दारांग और डिब्रूगढ़ जिले में उगाए रोपणों के लिए 2001–2002 के दौरान वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों के संबंध में नमूना जांच / उत्तरजीविता दर अध्ययन शुरू किए गए।

जैवविविधता, जलवायु परिवर्तन और नीति अनुसंधान प्रभाग : सी.डी.एम. रूपरेखा के भीतर डी.ओ.ई. के लिए प्रयुक्त करने हेतु नियत वानिकी सेक्टर के क्षेत्र में अपने उपलब्ध मानव संसाधन एवं विशेषज्ञता के साथ सी.डी.एम., भा.वा.अ.शि.प. के तहत वनीकरण एवं पुनरवनीकरण परियोजनाएं अर्हता प्राप्त करती हैं। तद्नुसार भा.वा.अ.शि.प.– बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया, जिसे औपचारिक रूप से स्वीकृत कर दिया गया।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन कोर ग्रुप के एक सदस्य के रूप में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, पार्टियों के सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण को तैयार करने हेतु वन अनुसंधान संस्थान एवं भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के अधिकारियों और वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी से संबंधित विभिन्न विषयों को नियमित रूप से अद्यतन करती रहती है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आयोजित जैविकीय विविधता (पूर्व सी.ओ.पी.–7) पर सम्मेलन से संबंधित मामलों पर विशेषज्ञ समूह के सदस्यों की पांच बैठकें हुई। निम्न विषय, यथा– पर्वत, कृषि, शुष्क और उप–आर्द्र भू–जैवविविधता, हमलावर असंगत प्रजातियां, विश्व वर्गिकी सूत्रपात और जैव सुरक्षा (एल.एम.ओज़ की पहचान), जैविकीय विविधता और पारि–पर्यटन तथा अन्तर्देशीय जल पारितंत्र जैविकीय विविधता, जो सी.ओ.पी.–7 से संबंधित थी, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, देहरादून के विशेषज्ञ सदस्यों को सौपें गए।

भारत में चयनित स्थानों में न्यूनीकरण सुअवसर और सक्षम लागत एवं लाभों के मूल्यांकन को करने के लिए भारत–यू.एस.ए. "फॉरक्लाइमेट–इंडिया" (वानिकी और जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण नेटवर्क इंडिया) सहयोगी परियोजना शुरू की गई।

इस परियोजना का फेज I पूरा हो चुका है, उदाहरणार्थ– फार्म वानिकी और सामुदायिक वानिकी परिदृश्य के तहत कार्बन पृथक्करण क्षमता पर उत्तरॉचल में अध्ययन।

लारेंस बर्कले नेशनल लैबोरेटरी (यू.एस.ए.), यूनाईटेड स्टेट्स एन्वायरनमेन्टल प्रोटेक्शन एजेन्सी और भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर के सहयोग से 13 और 14 अप्रैल, 2004 को फारक्लाइमेट परियोजना (फेज I) के परिणामों पर विचार–विमर्श करने के लिए वानिकी न्यूनीकरण परियोजनाओं में कार्यपद्धति विषयों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

जैवविविधता संरक्षण परिदृश्य के लिए केदारनाथ वन प्रभाग में सर्वेक्षण किया गया, जो आई.सी.एफ.आर.ई. वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वानिकी शिक्षा

विश्वविद्यालयों को सहायक अनुदान : वानिकी संकायों की अवसंरचना सुविधाओं, जैसे– प्रयोगशाला और क्षेत्र उपकरण, ग्लास हाउस / मिस्ट चैम्बर, परिवहन एवं कैम्प उपकरण, कम्प्यूटर केन्द्र, मिनी कम्प्यूटर / पी.सी. टर्मिनल्स, पुस्तकालय, खेलकूद तथा विद्यार्थियों की अन्य सुख–सुविधाओं को सशक्त बनाने के लिए देश में वानिकी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। कार्यशालाओं, सेमिनारों, संगोष्ठी के आयोजन, राष्ट्रीय सेमिनारों, संगोष्ठी में शिक्षकों की सहभागिता, विद्यार्थियों के अध्ययन दौरों, शिक्षण–नियम पुस्तिका आदि को

तैयार करने के लिए सहायता द्वारा वानिकी संकायों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी सहायक अनुदान उपलब्ध कराया गया। 19 विश्वविद्यालयों को सहायक अनुदान के तहत कुल रूपये 250 लाख स्वीकृत किए गए, जो नीचे दिए गए हैं :

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	रूपये (लाख में)
1.	डा. वाई.एस. परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय नौनी, सोलन	10.00
2.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	15.00
3.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, मुख्य परिसर, त्रिसुर	15.00
4.	वन अनुसंधान संस्थान (सम–विश्वविद्यालय), देहरादून	70.21
5.	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर	15.00
6.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, डाकघर, कनकी, रांची	15.70
7.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	8.00
8.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, वानिकी महाविद्यालय, सिरसी, धारवाड़	12.50
9.	इन्दिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषिनगर, रायपुर	4.09
10.	उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	8.00
11.	डा. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, डा.घ., कृषिनगर, अंकोला	3.00
12.	जी.बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	8.80
13.	शेरे कश्मीर विश्वविद्यालय, शालीमार कैम्पस, श्रीनगर	10.00
14.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, गाँधी कृषि विज्ञान केन्द्र, बंगलौर	6.00
15.	महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर, उदयपुर	10.00
16.	सी.एस.के. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पलामपुर	10.00
17.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	8.40
18.	इलाहाबाद कृषि सम–विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	15.00
19.	ए.एस.पी.ई.ई. औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, नवासराय	5.30
	योग	**250.00**

वानिकी सांख्यिकी प्रभाग : वानिकी निवेश और विकास कार्यक्रमों पर योजना, नीति विश्लेषण और निर्णय करने के लिए विभिन्न एजेन्सियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वानिकी पर आँकड़े एकत्र करने की आवश्यकता होती है। नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव के मानीटरन और मूल्यांकन के लिए भी सांख्यिकी की आवश्यकता होती है। सांख्यिकी प्रभाग इस सूचना को एक जगह उपलब्ध करा रहा है। प्रभाग निम्न कार्यों को करता है ;

- एकत्रित किए जाने वाले प्रारम्भिक एवं द्वितीयक वानिकी आँकड़ों की पहचान करना और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ सहमत होना।
- प्रारम्भिक और द्वितीयक आँकड़ों को एकत्र करने वाली सम्बद्ध एजेन्सियों के साथ सम्पर्क करना।
- आँकड़े एकत्र करना, मिलान करना तथा सहमत हुए आँकडों का विश्लेषण करना।
- आँकडों की विश्वसनीयता की जांच करना।
- यथोचित समय पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अथवा अन्य प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं को वांछित आँकड़े उपलब्ध कराना।

प्रभाग ने वर्ष के दौरान निम्न कार्यों को किया :

1. टिम्बर/बैम्बू ट्रेड बुलेटिन के चार अंकों का प्रकाशन।
2. निम्न के लिए इन्दरावती सरोवर जल–विद्युत परियोजना, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन में सहयोग–
   (i) परियोजना प्रभावित आबादी की आवश्यकताओं का पुनरमूल्यांकन।
   (ii) जलप्लावन क्षेत्र में वृक्षों की गणना।
   (iii) प्रतिपूरक वनीकरण में वृक्षों की गणना।
3. सांख्यिकी समस्याओं का समाधान करने के लिए वन अनुसंधान संस्थान के विभिन्न प्रभागों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई।
4. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्यों के निर्देशानुसार "भारतीय प्रकाष्ठ बाजार पर आयातित प्रकाष्ठों का प्रभाव" पर अध्ययन किया।
5. नेटवर्क पर एस.पी.एस.एस. 11.00 कार्यान्वित करने हेतु सांख्यिकी लैब में एक सांख्यिकीय सर्बर स्थापित किया गया।
6. वन उत्पादों के प्रमाणन हेतु एक कार्यपद्धति विकसित करने के लिए वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून से विभिन्न विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श शुरू किया गया।
7. निम्न के लिए आँकड़ें एकत्र किए ;
   (i) फॉरेस्ट्री स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2003।
   (ii) भारत की जी.डी.पी. पर गौण वन उपज के अंशदान का आकलन।
   (iii) अन्तर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय प्रकाष्ठ संगठन की संयुक्त वन क्षेत्र प्रश्नावली।

वानिकी विस्तार

मीडिया और प्रकाशन प्रभाग : वानिकी क्षेत्र में अनुसंधान उपलब्धियों के प्रचार के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् के संस्थानों द्वारा अपनाई जा रही रणनीतियों और विस्तार कार्यकलापों को देखता है। कार्यशालाओं, सेमिनारों और प्रदर्शनों की सहायता से मुख्यतः किसानों के आर्थिक लाभों के लिए परिषद् संस्थानों द्वारा विकसित विभिन्न कृषि जलवायवीय क्षेत्रों के विकसित कृषि वानिकी मॉडलों का प्रसार किया। वानिकी नाशीजीवों एवं रोगों के जैविकीय नियंत्रण उपाय विस्तार कार्यकलापों द्वारा पर्णधारियों को उपलब्ध कराया गया। वानिकी फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जैव उर्वरकों के उपयोग को, पुस्तिकाओं, फिल्म शो जैसी विस्तार प्रक्रियाओं द्वारा, बताया गया। संस्थानों द्वारा वर्ष के दौरान वानिकी के विभिन्न विषय–क्षेत्रों में दस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, वानिकी के विभिन्न पैरामीटरों पर पांच राष्ट्रीय कार्यशाला और दो सेमिनार भी आयोजित किए गए। संस्थानों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलें में अपनी प्रौद्योगिकीय खोजों का प्रदर्शन करने के लिए भाग लिया। यह प्रभाग भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् संस्थानों के विविध कार्यकलापों का मासिक विवरण रखता है और महानिदेशक भा.वा.अ.शि.प. के

निर्धनता घटाने के लिए वनों पर एशिया प्रशान्त महासागर क्षेत्रीय कार्यशाला – व.अ.सं. देहरादून

मासिक अ.शा. पत्र द्वारा इससे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अवगत कराता है। भा.वा.अ.शि.प. के तिमाही न्यूजलेटर में वानिकी के किसी भी विषय क्षेत्र में परिषद् के किसी भी संस्थान द्वारा तिमाही के दौरान की गई नवीनतम महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दिया जाता है। इसके अलावा, परिषद् में और इसके संस्थानों में सम्पन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं के संबंध में सूचना को सार्वजनिक किया जाता है। आगामी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं और सम्मेलनों की सूची भी भा.वा.अ.शि.प. न्यूजलेटर में प्रकाशित की जाती है। संसद के पटल पर रखने के लिए भा.वा.अ.शि.प. वार्षिक रिपोर्ट के रूप में परिषद् और इसके संस्थानों की वार्षिक रिपोर्ट को एकत्रित, सम्पादित और संकलित किया जाता है। अन्तिम प्रकाशन से पहले परिषद् संस्थानों की किताबों, पुस्तिकाओं, पम्फलेटों और तकनीकी रिपोर्टो का सम्पादन, पुनरीक्षण और प्रक्रमण करना अनिवार्य है। अन्तिम प्रकाशन से पहले वर्ष के दौरान संस्थानों से प्राप्त ग्यारह मसौदा प्रकाशनों की मीडिया एवं प्रकाशन प्रभाग द्वारा जांच की गई।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग : परिषद् मुख्यालय और वन अनुसंधान संस्थान में उपयोगकर्ताओं की हर तरह की सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सेवा उपलब्ध कराने वाला प्रभाग है प्रभाग के कार्यकलापों को मोटे तौर पर निम्न तीन खण्डों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

हार्डवेयर का रख–रखाव : अधिकांश हार्डवेयर विभिन्न विक्रेताओं के साथ सालाना रख–रखाव कान्ट्रेक्ट में है तथा अन्य वारण्टी अवधि में है। प्रभाग यह देखने के लिए उपयोगकर्ताओं और विक्रेताओं के बीच सम्पर्क भी बनाए रखता है कि उपयोगकर्ता द्वारा सूचित समस्या का उचित रूप से समाधान हो रहा है या नहीं। इसके अलावा, विक्रेताओं और प्रभाग के कर्मचारियों द्वारा नियमित निवारक रख–रखाव भी किया जाता है। प्रभाग द्वारा विभिन्न उपयोगकर्ता स्थलों में स्थापित नेटवर्किंग हार्डवेयर का नियमित निवारक रख–रखाव भी किया जाता है। चौबीस घण्टे उपयोगकर्ताओं में उपलब्ध नेटवर्क सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह कार्यकलाप आवश्यक हैं।

बैक आफिस मैनेजमेंट : लान और वान के निर्विघ्न कार्य के लिए विभिन्न किस्म के सर्वर तथा अन्य नेटवर्क साधन का अनुरक्षण; उपयोगकर्ता स्थलों में अन्य नेटवर्क साधनों यथा– हब्स, स्विचेज, हाई स्पीड हब्स और मोडेम्स का अनुरक्षण।

बैक आफिस कार्यकलापों को निम्नानुसार श्रेणीकृत कर सकते हैं:–

- उपयोगकर्ताओं को चौबीस घण्टे ई-मेल सेवा उपलब्ध कराने के लिए इ-मेल सर्वर का रख-रखाव।
- उपयोगकर्ताओं को इन्टरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का रख रखाव।
- निम्न के लिए उत्तरदायी अन्य सर्वरों एवं विश्व व्यापी वेब पर संस्था के बारे में अंकीय सूचना उपलब्ध कराने के लिए आई.सी.एफ.आर.ई. वेबसाइट (पबतिमण्वतह) चालू करना :
  - ➢ प्राइमेरी डोमेन कन्ट्रोलर (सर्वर)
  - ➢ बैकअप डोमेन कन्ट्रोलर (सर्वर)
  - ➢ डोमेन नाम सेवा (सर्वर)
  - ➢ फायरवाल सर्विस– (लोकल एरिया नेटवर्क बचाने के लिए)
  - ➢ डायल–अप उपयोगकर्ताओं के लिए लोकल टर्मिनल सर्विस।
- फाइल सर्वर का रख–रखाव, आँकड़ों के भण्डारण के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराई गई सेवा (यह सेवा हाल ही में जोड़ी गयी है)।
- भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय और वन अनुसंधान संस्थान में पांच आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिए एफ.ए.एस./वेतन बिल सहायता सुनिश्चित करते हुए आई.एफ.आर.आई.एस. (प्रबंध सूचना प्रणाली) केन्द्रीयकृत ऑरेकल आँकड़ा–आधार का रख-रखाव।
- राष्ट्रीय वन पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र के टी.एल.एस.एम. (कुल पुस्तकालय स्वचलन सॉटवेयर प्रबंध प्रणाली) ऑरेकल आँकड़ा–आधार उत्थापन, सन सर्वर का रख-रखाव।
- भा.वा.अ.शि.प./व.अ.सं. के उपयोगकर्ताओं के लिए सी.डी. रोम सहायता–सभी लान उपयोगकर्ताओं के लिए अंकीय संदर्भिकीय आँकड़ा–आधार सेवाएं।

प्रशिक्षण : वर्ष के दौरान भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् मुख्यालय के अधिकारियों और वन अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। परिषद् के विभिन्न संस्थानों में नियुक्त नए भर्ती किए गए कम्प्यूटर वैज्ञानिकों को चार सप्ताह का अधिष्ठापन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। व.अ.सं. सम–विश्वविद्यालय को दो पाठ्यक्रमों में सैद्धान्तिक और प्रायोगिक कक्षाओं के लिए संकाय सहायता उपलब्ध कराई गई।

प्रमुख उपलब्धियां

- भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् ने राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि–विकास बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार संयुक्त वन प्रबंध, वन विकास एजेंसी, जलसंभर, सूक्ष्म योजना और मानीटरन विषयों पर समिति सदस्यों एवं वन अग्रणी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित और प्रकाशित किया।
- भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् की सफलता की कहानियों के अन्तर्गत विभिन्न एजेन्सियों को पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरणीय प्रबंध योजना परामर्श दिया गया, उदाहरणार्थ– बोधघाट जल–विद्युत परियोजना, जिला–दांतीवाड़ा, छत्तीसगढ़ के लिए पारिस्थितिकीय अध्ययनों पर अध्ययन। एन.ए.ई.बी. के तहत और एकीकृत वनीकरण एवं पारि–विकास परियोजना की 9वीं योजना के तहत राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा उगाए गए प्रतिपूरक वनीकरण का मूल्यांकन, उड़ीसा के 6 तटवर्ती जिलों में एन.ए.ई.बी. योजना के तहत वर्ष 2000–2002 के दौरान तटवर्ती रक्षा–मेखला रोपण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। एकीकृत वनीकरण एवं पारि–विकास परियोजना की 9वीं योजना के अन्तर्गत लोकटाक और माकलांग जलसंभर परियोजनाओं का मूल्यांकन।
- भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन कोर समूह का एक सदस्य है, जो परिषद् और इसके संस्थानों के अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों के दल के साथ भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी से संबंधित विभिन्न विषयों को नियमित रूप से अद्यतन करती है।
- भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् ने जैविकीय विविधता पर सम्मेलन की कान्फरेन्स ऑफ पार्टिज़ (सी.ओ.पी.–7)

बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के एक विशेषज्ञ सदस्य के रूप में सक्रिय रूप से भाग लिया,जो 9 से 20 फरवरी, 2004 तक कुआलालमपुर, मलेशिया में सम्पन्न हुआ।

- भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् ने, विश्वविद्यालयों को सहायक अनुदान के तहत, कार्यशालाओं/सेमिनारों/संगोष्ठी के आयोजन, राष्ट्रीय सेमिनारों, संगोष्ठी में शिक्षकों की सहभागिता, विद्यार्थियों के अध्ययन दौरों, शिक्षण नियम पुस्तिका आदि तैयार करने के लिए सहायता द्वारा वानिकी संकायों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता दी। वर्ष 2003–2004 में 19 विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान के अन्तर्गत कुल रूपये 250 लाख स्वीकृत किए गए।

प्रमुख अनुसंधान उपलब्धियां

- वन अनुसंधान संस्थान ने आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वानिकी प्रजातियों के 900 नमूनों के लिए एक कम्प्यूटरीकृत संग्रहालय आँकड़ा–आधार विकसित किया।
- एजीरेटम कॉनीजॉइडस, पार्थेनियम हीस्टीरोफोरस, यूपेटोरियम ग्लेन्डूलोसम और ऐजैडिरैक्टा इंडिका से वनस्पति रंगों के लिए विधियों को मानकीकृत किया।
- शोरीय रॅाबुस्टा के विभिन्न भागों से सगंध तेल पृथक किए।
- वृक्ष सुधार अध्ययनों के लिए पॉपलर (पॉप्युलस डेलट्वाइड्स) के 400 क्लोनों के लिए जननद्रव्य बैंक पोषित किए जा रहे हैं।
- खरपतवारों के प्रभावी उपयोजन के लिए पार्थेनियम से कम्पोस्ट बनाने हेतु विधियों को मानकीकृत किया गया।
- विभिन्न उपयोगकर्ता एजेन्सियों के लिए काष्ठ पहचान हेतु काष्ठ शारीर सूचना प्रणाली का विकास किया गया।
- व.अ.सं. में परिरक्षित संग्रह से राष्ट्रीय कीट संदर्भ हेतु 200 प्रजातियों के लिए कीट आँकड़ा–आधार विकसित किया।
- आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण 25 वन प्रजातियों के लिए औषध विज्ञानीय महत्व की जांच की गई।
- चयनित वन वृक्ष प्रजातियों के लिए पात्र पौधशाला पद्धतियों को मानकीकृत किया गया।
- तमिलनाडु में कुछ व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण औषधीय पादपों के लिए बीज संचालन प्रक्रियाओं को मानकीकृत किया।
- कुछ उष्णकटिबंधीय अड़ियल बीजों के लिए बीज संचालन तकनीकों को मानकीकृत किया।
- वन्य आबादी, उद्गमस्थलों से नाशीजीव प्रतिरोधी वृक्षों की पहचान और अधिक वृक्ष सुधार अध्ययनों के लिए विदेशज़ परीक्षण एवं सन्तति परीक्षण।
- करीब 3000 संग्रहालय पादप प्रजातियों को 'इमेज एनालाइजर' कार्यक्रम में अपलोड किया और ये वेबसाइट द्वारा सम्पूर्ण देश में उपलब्ध हैं।
- चयनित प्रजातियों के ताड़ों और बांसो के लिए प्लास्टिकीकरण तकनीक का विकास किया।
- सिमारोबा ग्लूका की काष्ठ गुणवत्ता को, इसके प्रकाष्ठ उपयोग के लिए, मूल्यांकित किया।
- कर्नाटक के ग्रामीण और अंचलीय समुदायों के लाभ के लिए वानिकी प्रौद्योगिकियों का हस्तान्तरण किया।
- विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्र और काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक में उन्नत काष्ठ कर्म की जानकारी दी।
- सागौन और मेलाइना आर्बोरीया के लिए ऊतक संवर्धन प्रोटोकॉल विकसित किया।
- मध्य भारत की विभिन्न बहुउद्देशीय वन वृक्ष प्रजातियों के लिए उन्नत पौधशाला तकनीकों को मानकीकृत किया।
- मध्य भारत के संरक्षित क्षेत्र में जैव विविधता का मूल्यांकन किया।
- अधिक वृक्ष सुधार के लिए प्रमुख नाशिकीटों के विरूद्ध प्रतिरोध हेतु मध्य प्रदेश के सागौन की जांच की गई।
- हिमालयन वनों के ग्यारह परजीव्याभों, आठ परभक्षियों और नौ कीट रोगजनकों को मिलाकर इक्ट्रोपिस देवदारा के प्राकृतिक शत्रु की पहचान की गई।
- शिमला के चारों ओर देवदार मर्त्यता का अध्ययन किया और कारकों की पहचान की गई।

उत्कृष्टता के लिए आई.सी.एफ.आर.ई. अवार्ड

अवार्ड :

नीचे उल्लिखित विषय क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिए निम्न व्यक्तियों/दलों को वर्ष 2001–2002 हेतु "उत्कृष्टता के लिए आई.सी.एफ.आर.ई. अवार्ड" महामहिम राज्यपाल, उत्तराँचल श्री सुदर्शन अग्रवाल द्वारा 8 मार्च, 2004 को प्रदान किया गया। अवार्ड के तहत प्रत्येक विषय–क्षेत्र के लिए एक प्रमाणपत्र और दस हजार रूपये का पुरस्कार दिया जाता है।

विषय क्षेत्र		विजेता का नाम
वन जैव–प्रौद्योगिकी	:	डॉ. के. गुरूमूर्ति; आर. यशोधा; मधुमिता घोष; एन.वी. मथिस; आर. सुमथि और शशिभूषण त्रिपाठी, वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर।
सामुदायिक वानिक	:	श्री मुदित कुमार सिंह, सहायक महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, देहरादून।
वन रक्षण	:	डॉ. मुख्तार अहमद, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून।
वानिकी अनुसंधान	:	1. डॉ. एन.एस. बिष्ट, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून। 2. डॉ. के. पलानीसामी, वन आनुवंशिक एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर।
वन संरक्षण	:	डॉ. उपेन्द्र धर; डॉ. शेर एस. सामन्त; डॉ. रणवीर एस. रावत और डॉ. सुबोध अरी, जी.बी. पंत हिमालयन पर्यावरण एव विकास संस्थान, अल्मोड़ा।
वन उपयोजन	:	डॉ. सी.एन. पाण्डे, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून।
वन अर्थशास्त्र और प्रबंध	:	श्री राजीव कुमार गर्ग, वन संरक्षक, प्रशासन, उत्तर प्रदेश वन विभाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।